संo–991/XXVIII (3) 2004–193/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक : 21 मार्च, 2005

विषय: राजकीय ऐलोपैथिक चिकि0 कफनौल, जनपद उत्तरकाशी तथा विनकोट, जनपद, पिथौरागढ के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/एस.ए.डी./54/40/2004/26747 दिनांक 3.11.2004 के सदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे राजकीय ऐलोपैथिक चिकि0 उत्तरकाशी, तथा पिथौरागढ के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु कुल संलग्नकानुसार रू0. 46,76,020=00 (रू0 छियालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे व्यय हेतु रू0 40,15,000.00 (रू0 चालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1– एकमुश्त प्राविधानो को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ले।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयो के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जावे। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानो मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरो मे जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओ/विशिष्टियो मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत– 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये –104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –01–जिला योजना, 04–राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयो के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 966/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 20.3.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या 901/XXVIII (3) 2004–193/2004 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी , उत्तरकाशी, पिथौरागढ।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 991/XXVIII(3)2004-193/2004 दिनांक 23.3.05 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं0	योजना का नाम	जनपद का नाम	लागत	निर्माण इकाई	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रा0ऐ0चिकि0 कफनौल का भवन निर्माण।	उत्तरकाशी	15.15	स0 क0 नि0	15.15
2	रा0ऐ0चिकि0 बिनकोट का भवन निर्माण।	पिथौरागढ़	31.60	स0 क0 नि0	25.00
		योग	46.75		40.15

(रू0 चालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।